

**DFO-Cum-Deputy Director, Valmiki Tiger Reserve Division-02,
Bettiah, West Champaran, Bihar.**

(In the Matter of Original Application No.-587/2022, Order dated-06.01.2023)

Related Site : Semralabedha Ghat on the bank of river Gandak, Ps-Piprasi, District-West Champaran, Bihar.

Complainants : Sri Krishna Kumar Ram and Others of Semralabedha Panchyat, District- West Champaran, Bihar

Background :

The Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Principal Bench, New Delhi, has taken cognizance on the complaint of Sri Krishna Kumar Ram and others of Semralabedha Panchyat, District-West Champaran, Bihar and passed an order dated: 06.01.2023 in Original Application no.-587/2022. The Hon'ble NGT was directed to file the reply/ response by the respondent within two months at judicial ngt@gov.in and also consider presence of the DFO and District Magistrate, Valmikinagar, Bihar before this Hon'ble Tribunal physically or through VC on the fixed date for further consideration on 17.03.2023.

Site's Description :

The extent of the Eco-Sensitive Zone (ESZ) varies from 0 metre to 09 k.m. from boundary of the Valmiki Tiger Reserve (VTR), zero extent is towards western side sharing interstate boundary with Uttar Pradesh and towards northern side sharing international boundary with Nepal. The Map of the sanctuary demarcating the ESZ boundary and the geo co-ordinates are attached as annexure 1 and Annexure IA in the notification S.O 3026(E) dated-13.09.2017 of the Ministry of the Environment, forest & Climate Change (EFCC), New Delhi. Semralabedha (27°8'46.645" N, 84°0'8.654" E) which is falling within the Eco-Sensitive Zone (ESZ) of Valmiki Tiger Reserve is listed at SI no.-295 of the above cited the Gazette of India. **(Annexure-I)**

Semralabedha Ghat situated at the bank of river Gandak, Semralabedha panchayat, P.O.- Semralabedha, P.S.-Piprasi, District- West Champaran, Bihar. The West champaran district boundary is surrounded by hilly region of Nepal in North. The hills contain large stretches of forest. The streams from hills bring down huge quantities of sand during monsoon. This district has a rich source of minor mineral mainly river made material (sand).

Proceeding:

- I. The concerned site in question falls in the Eco-Sensitive Zone of Valmiki Tiger Reserve and it comes under the Jurisdiction territorial of Bettiah Forest Division, Bettiah, West Champaran and the concerned forest range is Bagaha forest range

of Bettiah Forest Division. Semralabedha Ghat is a sand Ghat and it is not a notified forest land, due to which necessary action was taken by the mining department office.

- II. The mining lease for Semralabedha Sand Ghat was cancelled by the mining department in compliance to the Eco-Sensitive Zone of Valmiki Tiger Reserve notification S.O-3026 (E) dated-13.09.2017 followed by an amended notification S.O- 2765 (E)- dated 09.07.2021. **(Annexure-II)**
- III. In relation to prohibition of illegal sand mining work in Semralabedha Panchyat, the undersigned has written to competent authority, Mineral Development Officer, West Champaran, Bettiah vide letter no.-933 dated: 04.06.2022 & Letter no.-1012 dated: 20.06.2022 and requested official to take strict action against it. **(Annexure-III)**
- IV. A FIR was lodged by Forester, Madanpur-Cum-Naurangia Forest Beat, Valmiki Tiger Reserve, Divison-02, Bettiah against the violators in concerned Piprasi Police Station, Bagaha, Police District (West Champaran) vide letter no.-38 dated 22.06.2022. Which came to be registered as Piprasi P.S. case no.-51/22 against
1. Rameshwar Bin S/o Sri Bhawat Bin, At-Bhashia, P.S- Piprasi, District-West Champaran, Bihar.
 2. Sri Vinod Yadav, At-Bansgaon, P.S.-Patkhailia, Bagaha, District- West Champaran, Bihar.
 3. Sri Dinesh Jaysawal, S/o- Sri Mohan Jaysawal, At-Chhitouni, P.S- Hanumanganj, District- Kushinagar (UP).
 4. Sri Ramnath Gupta, S/o- Sri Dev Narayan Gupta, At-Chhitouni, P.S- Hanumanganj, District- Kushinagar (UP).
 5. Sri Raju Roniyar, At- Chhitouni, P.S- Hanumanganj, District- Kushinagar (UP). **(Annexure-IV)**
- V. Undersigned raised this issue and requested to the Superintendent of Police (SP), Bagaha, West Champaran, vide letter no.-1064 dated:28.06.2022 regarding lodging of FIR & taking strict action for prevention of illegal sand Mining being done in ESZ (within 0 metre to 09 k.m. form forest boundary) of Valmiki Tiger Reserve. **(Annexure-V)**
- VI. In this regard, the undersigned also informed about this issue to Conservator of forest-cum-Field Director, Valmiki Tiger Reserve, Bettiah, West Champaran and mentioned the action taken by him vide letter no.-1942 dated: 20.10.2022 & letter no.-1971 dated:26.10.2022. **(Annexure-VI)**

- VII. In this regard, a meeting was organized by the Conservator of Forest-Cum-Field Director, Valmiki Tiger Reserve, Bettiah office on 21.10.2022, in which Conservator of Forest-Cum-field Director, DFO-Cum-Deputy Director, Valmiki Tiger Reserve, Division-02, Bettiah, DFO Bettiah Forest Division & Mining Inspector, representative of District Mining Officer, West Champaran, Bettiah participated and further necessary action taken by them in this regard was discussed. **(Annexure-VII)**
- VIII. Local villagers Sri Sudarshan Nishad, Sri Kaushal Kumar, Sri Rajmangal Bind, Sri Tirath Raj Kushwaha, Sri Krishna Kumar Ram and others register there statement before joint committee constituted by Hon'ble National Green Tribunal (NGT) that illegal sand mining was carried on before the floods about six months ago. In the outcomes under the observation of Joint committee, there was no sand storage and no any mechanical equipment engaged in sand mining activities found on the bank of Gandak River in the area under reference.
- IX. A joint inspection of the site under reference was held on 8th February 2023 by DFO-Cum-Deputy Director, Valmiki Tiger Reserve, Division-02, Bettiah, DFO Bettiah, Bettiah Forest Division, District Magistrate, Bettiah, Superintendent of Police, Bagaha and Mineral Development Officer, Bettiah. There was no any mechanical equipments, sand extraction and sand storage evidence found on the concerned site. This detailed inspection of the Semralabedha site confirmed no mining activity is being carried out at the site.



Devi
27/12/2023
DFO-Dum-Deputy Director,
Valmiki Tiger Reserve Division-02, Bettiah

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2017

S.O. 3026(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1824 (E), dated the 19th May, 2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 19th May, 2016;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered;

AND WHEREAS, the Valmiki Wildlife Sanctuary, Valmiki National Park and Valmiki Tiger Reserve are situated in the West Champaran District of Bihar and are spread over an area of 898.73 square kilometers and the Sanctuary is bound by India Nepal border in the north and Uttar Pradesh - Bihar border along River Gandak in the west;

AND WHEREAS, the Valmiki Wildlife Sanctuary, Valmiki National Park and Valmiki Tiger Reserve have special and locally unique landscapes and vegetation comprising of Terai areas of the outer Siwaliks of the Himalayan foothills, these are composed of mosaic of varied landforms and ecosystems consisting of forested hills and valleys, riverine open woodlands, grasslands and swampy areas sheltering rich diversity of flora and fauna; the fauna includes Tiger (*Panthera tigris*), Leopard (*Panthera pardus*), Wolf (*Canis lupus*), Wild dog (*Cuon alpinus*), Hyena (*Hyaena sp.*), Jungle Cat (*Felis chaus*), Civets (*Viverricula spp.*), Otter (*Lutrogale perspicillata*), Gaur (*Bos gaurus*), Sambhar (*Rusa unicolor*), Chital (*Axis axis*), Barking Deer (*Muntiacus muntjak*), Hog Deer (*Hyelaphus porcinus*), Sloth bear (*Melursus ursinus*), Python (*Pythonidae spp.*), Mugger (*Crocodylus palustris*), Langur (*Semnopithecus spp.*), etc.; bird species like Peacock (*Pavo cristatus*), Vultures (*Gyps spp.*) and numerous species of birds inhabit the Sanctuary, some being endangered or vulnerable;

AND WHEREAS, the tract of Valmiki Tiger Reserve is the source region of two major rivers Gandak and Burhi Gandak of the North Bihar plains yielding long term ecological and environmental significance of the area;

AND WHEREAS, the fringes of Valmiki Tiger Reserve are also inhabited by Tharu tribe as a major community in the landscape and other tribes in pockets which enrich the ethnic, cultural and anthropological significance of the area;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Valmiki Tiger Reserve including Valmiki Wildlife Sanctuary and Valmiki National Park as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view by habitat management aiming at improving and preserving the genetic resources of the aforesaid protected area, reintroduction and rehabilitation of local species, promote environmental education and ecological research and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent ranging from 0 metre to 9 kilometres around the boundary of the Valmiki Wildlife Sanctuary, Valmiki National Park and Valmiki Tiger

Reserve in the State of Bihar as the Valmiki Wildlife Sanctuary, Valmiki National Park and Valmiki Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-(1)The extent of the Eco-sensitive Zone varies from 0 metre to 9 kilometres from the boundary of the Valmiki Wildlife Sanctuary, Valmiki National Park and Valmiki Tiger Reserve, zero extent is towards Western side sharing inter-state boundary with Uttar Pradesh and towards Northern side sharing international boundary with Nepal and the area of the Eco-Sensitive Zone is 835.76 square kilometres.

(2) The map of the Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone boundary and the geo co-ordinates are appended as **Annexure I and Annexure I A.**

(3) The list of 323 villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure II.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan so prepared shall be commensurate with the stipulations specified in this notification and include the environmental implications.

(3) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest;
- (iii) Urban Development;
- (iv) Tourism;
- (v) Municipal;
- (vi) Revenue;
- (vii) Agriculture;
- (viii) Animal and Fishery Resources;
- (ix) Bihar State Pollution Control Board;
- (x) Water Resources (Irrigation);
- (xi) Archaeology; and
- (xii) Public Works (Road Construction),


for integrating environmental and ecological considerations into it.

(6) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

Annexure-I

Map of Valmiki Wildlife Sanctuary, National Park and Tiger Reserve, Bihar along with Eco-sensitive Zone



Annexure I-A

Geo Co-ordinates of boundary of Valmiki Tiger Reserve (Including Valmiki Wildlife Sanctuary and National Park)

Sl. No.	LATITUDE	LONGITUDE
1	27° 9' 26.366" N	84° 2' 17.478" E
2	27° 12' 10.620" N	83° 59' 18.233" E
3	27° 15' 6.225" N	83° 54' 20.563" E
4	27° 19' 6.074" N	83° 50' 10.006" E
5	27° 22' 27.377" N	83° 53' 1.327" E
6	27° 25' 33.688" N	83° 49' 52.873" E
7	27° 26' 55.066" N	83° 56' 22.629" E

- 5. Monitoring Committee.**-(1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-
- | | |
|--|--------------------|
| (i) Commissioner, Tirhut, Muzaffarpur Division | -Chairperson; |
| (ii) Field Director, Valmiki Tiger Reserve, West Champaran | -Member; |
| (iii) District Magistrate, W. Champaran | -Member; |
| (iv) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Bihar for a period not exceeding three years at a time. | -Member; |
| (v) One representative of non-Governmental Organisation (working in the field of environment including heritage Conservation) to be nominated by the Government of Bihar for a period not exceeding three years at a time. | -Member; |
| (vi) Member Secretary or Member, Bihar State Biodiversity Board | -Member; |
| (vii) Regional Officer, Bihar State Pollution Control Board | -Member; |
| (viii) Representative of Department of Revenue, Government of Bihar | -Member; |
| (ix) Representative of Department of Water Resources, Government of Bihar | -Member; |
| (x) Representative of Department of Mines and Geology, Government of Bihar | -Member; |
| (xi) Representative of Department of Agriculture, Government of Bihar | -Member; |
| (xii) Representative of Department of Animal and Fish Resources, Government of Bihar | -Member; |
| (xiii) Divisional Forest Officer, Valmiki Tiger Reserve, Division-I/II by rotation for period of three years | -Member Secretary. |
- 6. Terms of reference.**- (1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of publication of this notification in Official Gazette.
- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (3) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State as per proforma appended at **Annexure III**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 7.** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 8.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/197/2015-ESZ-RE]
LALIT KAPUR, Scientist 'G'

274	Parsanda	27° 16' 47.162" N	84° 33' 3.881" E
275	Serahwa	27° 16' 6.534" N	84° 23' 56.857" E
276	Khurhuria	27° 16' 28.230" N	84° 24' 34.410" E
277	Sembhupur	27° 17' 41.387" N	84° 34' 57.058" E
278	Khairatia	27° 17' 34.951" N	84° 35' 44.963" E
279	Bhatujhila	27° 17' 48.134" N	84° 38' 14.019" E
280	Ban Bairia	27° 15' 46.245" N	84° 35' 42.242" E
281	Puraina	27° 15' 42.302" N	84° 36' 39.802" E
282	Darhia	27° 14' 7.255" N	84° 8' 11.392" E
283	Naraingarh	27° 14' 38.528" N	84° 2' 15.432" E
284	Chegauna	27° 13' 23.494" N	84° 3' 36.449" E
285	Barba	27° 13' 40.253" N	84° 6' 28.736" E
286	Bakulia	27° 14' 32.074" N	84° 4' 44.097" E
287	Majhauwa	27° 14' 38.160" N	84° 3' 54.686" E
288	Behuarwa	27° 14' 36.684" N	84° 3' 3.787" E
289	Jamira	27° 16' 1.674" N	84° 6' 19.860" E
290	Songaharwa	27° 19' 15.327" N	83° 57' 24.090" E
291	Bairiya Khurd	27° 18' 2.482" N	84° 1' 49.359" E
292	Satchubanwa	27° 19' 31.316" N	83° 59' 24.250" E
293	Katphorwa	27° 11' 11.318" N	84° 3' 13.643" E
294	Gandhariya	27° 14' 12.385" N	84° 3' 29.949" E
295	Semralabedaha	27° 8' 46.645" N	84° 0' 8.654" E
296	Kehunia Dih	27° 15' 45.604" N	84° 31' 27.937" E
297	Panchgarwa	27° 12' 45.365" N	84° 6' 7.012" E
298	Gorkati	27° 11' 40.625" N	84° 4' 51.301" E
299	Laukar	27° 14' 38.776" N	84° 36' 28.747" E
300	Malkuli -Patkhuli	27° 8' 30.00" N	84° 3' 0.00" E
301	Narainapur	27° 7' 48.00" N	84° 3' 15.0" E
302	Parsa	27° 18' 30.25" N	84° 20' 25.33" E
303	Kanghusari	27° 17' 20.30" N	84° 18' 30.50" E
304	Madanpur	27° 14' 30.40" N	84° 0' 30.5" E
305	Sitalpur	27° 13' 57.34" N	84° 35' 41.674" E
306	Biranchi	27° 14' 35.324" N	84° 35' 32.080" E
307	Bhavanipur	27° 14' 12.710" N	84° 34' 24.922" E
308	Bengra	27° 15' 23.431" N	84° 23' 4.571" E
309	Lachhnauta (Part)	27° 14' 48.687" N	84° 23' 23.691" E
310	Turkauli	27° 14' 50.949" N	84° 22' 49.358" E
311	Shahajanpur	27° 15' 2.050" N	84° 23' 53.090" E

जिला खनन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

113

पत्रांक ... 708 / खनन, बेतिया

दिनांक 01.11.2021

प्रेषित,

मेसर्स शिंह एण्ड गिरि प्रुफा० प्रा० लि०
प्रो० श्री हरेन्द्र शिंह, नरैनापुर बगठा-02,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

विषय :-

दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक पश्चिम चम्पारण, बेतिया जिलान्तर्गत EC
प्राप्त 20 बालूघाटों से उत्खनन एवं प्रेषण की अनुमति के संबंध में।

प्रसंग:

विभागीय अधिसूचना पत्रांक 3043/एम., पटना दिनांक 01.10.2021 एवं पत्रांक
3045/एम., पटना दिनांक 01.10.2021

उपर्युक्त विषयक विभागीय अधिसूचना संख्या 3043/एम० पटना, दिनांक
01.10.2021, पत्रांक 3045/एम० पटना, दिनांक 01.10.2021, द्वारा दिनांक 30.09.2021 को समाप्त
हो रही बालू बन्दोबस्तधारियों की बन्दोबस्ती अवधि को बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन,
परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-77 (2) के तहत दिनांक 01.10.2021 से
31.03.2022 तक वर्ष 2020 की बन्दोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ स्वीकृति दी गई है।

प० चम्पारण, बेतिया जिलान्तर्गत 38 बालूघाटों का कुल रकबा 66.96 हेक्टेयर है,
जिसमें से वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन पड़ने वाले 16 बालूघाटों
(रकबा 27.20 हेक्टेयर) को छोड़कर शेष 20 बालूघाट (रकबा 39.76 हेक्टेयर) के लिए रकबा के
आधार पर छः माह की कुल बन्दोबस्ती राशि मो० 4,89,67,750 रु०, आयकर की राशि मो०
10,18,529 रु० एवं डी०एम०एफ० की राशि 9,79,355 रु० का भुगतान बैंक ड्राफ्ट एवं चेक के
माध्यम आपके द्वारा की गई है।

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन पड़ने वाले 16
बालूघाटों को छोड़कर शेष 20 बालूघाट क्रमशः- Dhanarpa, Kunriya, Dumaulia Narayanpur,
Bhairoganj Bholapur, Bhairoganj, Bairiya, Belwa Bahuwari, Inarwa & Bhangaha, Baijua
Alpaha, kunriya, Dhanaha Balu, Parsuni, Machhaha chilwaniya, Bulahi khaira, Sauraha, Khaira,
Binaki khaira, Madhubani (pit-1,2), Shamsarwan।

उपरोक्त 20 बालूघाटों के बन्दोबस्ती राशि के संबंध में निदेशक, खान एवं मूलत्व
विभाग, बिहार, पटना से कार्यालय पत्रांक 713/खनन, दिनांक 01.11.2021 द्वारा मार्गदर्शन की मांग
की गयी है। प्राप्त निदेश में यदि बन्दोबस्ती राशि में बढ़ोतरी/वृद्धि की जाती है, तो पुनः आपको
शेष राशि जिला खनन कार्यालय, प० चम्पारण, बेतिया में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना
अनिवार्य होगा। इस शर्त के साथ उपरोक्त 20 बालूघाटों से निविदा, पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों,
बंधजों के नियमानुसार तथा विभाग एवं समाहर्ता महोदय, द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/शर्तों
के अधीन औपबधिक रूप से उत्खनन एवं प्रेषण की अनुमति दी जाती है।


खनिज विकास पदाधिकारी
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

(खनन शाखा)

पत्रांक...6.20.../खनन, बेतिया, दिनांक...17.09.2021

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

सेवा में,

अध्यक्ष,
बिहार राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA),
बिहार, पटना।

विषय: वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधिन पड़ने वाले 16 बालूघाटों के पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) को रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग: निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 2833/एम., पटना, दिनांक 17.09.2021

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माह मार्च 2021 में वन संरक्षण-सह- क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक 415, दिनांक 19.03.2021 द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 3026 (अ), दिनांक 13.09.2017 एवं माननीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा O.A No. 82/19 (PSZ) में दिनांक 11.12.2019 को पारित आदेश के आलोक में वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी जोन से खनन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। किन्तु अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रारूप में भिन्नता रहने पर विभाग से मार्ग-दर्शन की अपेक्षा की गयी इसी बीच में संशोधित अधिसूचना सं. 2765 (अ), दिनांक 09.07.2021 जारी किया गया है जिसमें वर्णित है कि:-

हिन्दी में	वणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइया	(क)पारिस्थितिकी संवेदन जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों के घरेलू आवश्यकताओं, जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए खोदना सम्मिलित है के सिवाय सभी प्रकार के नये एवं विद्यमान खनन (लघु एवं वृहत खनिज) पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयों तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी।
अंग्रेजी में	Commercial Mining stone quarrying, and crushing units	(a) All new and existing mining (minor and major) stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bonafide local residents including digging of earth of construction of repair of houses within Eco- sensitive Zone

उक्त के अनुसार निर्माकित बालूघाट पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर पड़ते हैं:- (i) Sithi, (ii) Parsa mahul, (iii) Semara Labdeha, (iv) Parsauni puraniya banbairiya, (v) Biranchi, (vi) Manguraha, (vii) Vishunpurwa Gaunaha, (viii) Hardi, (ix) Barwa singaha, (x) Barba kalan, (xi) Mainahamothiya, (xii) Bhelahi, (xiii) Songadhwa (Pipra), (xiv) Pindarl, (xv) Hardi Shahjahanpur एवं (xvi) Nautanwa

उपरोक्त के आलोक में पत्रांक 353/खनन, बेतिया दिनांक 27.08.2021 से निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना से वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन से खनन कार्यों के संचालन के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई। जिसके आलोक में निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रासंगिक पत्र से उक्त वर्णित 16 बालूघाटों के लिए जारी पर्यावरण स्वीकृति रद्द करने संबंधि आदेश प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले उपरोक्त वर्णित 16 बालूघाटों की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) को समीक्षोपरान्त रद्द करने कि दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासपीजन,

जिला पदाधिकारी,

पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

अनुसूचक :- अनौकत ।

RF637122922IN NH 23/9/21



RF637122922IN IUR:82706371229

RL BETTIGH PD (315438)

Counter No:10,23/09/2021,12:05

To:THE ADCHYACHAK, SEIAA PATNA

Pin:800001, Patna GPD

From:THE DN, BETTIGH

Wt:960gms

Act:47.00(Cash)FS:210.00

Track on www.indianpost.gov.in

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-2, बेतिया
Forest Colony, Peonybagh, Near Durgabagh Mandir, Bettiah, West Champaran, Bihar- 845438, Mb. No. 8986153405
email-dfobettiah2@gmail.com, dfobettiah2-bih@gov.in

प्रेषक, नीरज नारायण, भा.व.से.
वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक।
सेवा में, खनिज विकास पदाधिकारी,
प० चम्पारण, बेतिया।
विषय : वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य क्षेत्र तथा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (Eco-Sensitive Zone) में किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक खनिज उत्खनन कार्य प्रतिषिद्ध किये जाने के संबंध में।
प्रसंग :- वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, बेतिया का ज्ञापांक-1393 दिनांक-03.06.2022

महाशय,
उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का कार्यालय आदेश संख्या-2765 (अ) दिनांक-09.07.2021 द्वारा निर्गत अधिसूचना की प्रति भेजते हुए अनुरोध किया गया था कि निर्धारित पारिस्थितिकी संवेदन जोन (Eco-Sensitive Zone) के सीमा अन्तर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों के घरेलु आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना सम्मिलित है के अतिरिक्त सभी प्रकार के वाणिज्यिक नये एवं विद्यमान खनन (लघु एवं वृहत खनिज) सहित, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण ईकाईयां पूर्व से प्रतिषिद्ध होगी। इस संबंध में ई-मेल के माध्यम से वरीय स्तर को परिवाद प्राप्त हुआ है (संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि पिपरासी अंचल अन्तर्गत सेमरा लेबदहा पंचायत में (Eco-Sensitive Zone) अन्तर्गत बालू की अवैध खनन कार्य का परिवाद प्राप्त हुआ है जिस पर वैधानिक रूप से अविलम्ब रोक लगाये जाने की आवश्यकता है तथा तत्संबंधित अग्रतर कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाय।

अनुलग्नक:-

1. प्राप्त परिवाद की प्रति संलग्न।

विश्वासभाजन,

(Signature) 09/06/22

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह-उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-2, बेतिया।

ज्ञापांक- 933 दिनांक-04.06.22

प्रतिलिपि :-वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(Signature) 09/06/22

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह-उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-2, बेतिया।

ज्ञापांक- 933 दिनांक-04.06.22

प्रतिलिपि :-पुलिस अधीक्षक, बगहा प० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature) 09/06/22

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह-उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-2, बेतिया।

137

ज्ञापांक- 933 दिनांक- 04.06.22

प्रतिलिपि :-अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा, प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Peej 04/06/22

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह-उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-2, बेतिया।

ज्ञापांक- 933 दिनांक- 04.06.22

प्रतिलिपि :-सहायक वन संरक्षक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमंडल-02, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Peej 04/06/22

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह-उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-2, बेतिया।

ज्ञापांक- 933 दिनांक- 04.06.22

प्रतिलिपि :-अंचलाधिकारी, पिपरासी अंचल, प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Peej 04/06/22

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह-उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-2, बेतिया।

ज्ञापांक- 933 दिनांक- 04.06.22

प्रतिलिपि :-वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मदनपुर, वाल्मीकिनगर, गनौली, हरनाटांड एवं चिउटाहां वन प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Peej 04/06/22

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह-उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-2, बेतिया।

03/06/2022 10:01

Gmail - Fwd: sand mafias plundering eco-sensitive area in VTR with impunity .

138

Field Director Valmiki Tiger Reserve <fdvalmikitr@gmail.com>

ES2
37
ACF
for
ACTION
Tajem Report

Fwd: sand mafias plundering eco-sensitive area in VTR with impunity .

1 message

PCCF(HoFF) <pccfbihar@gmail.com>
To: fdvalmikitr <fdvalmikitr@gmail.com>

Fri, Jun 3, 2022 at 8:49 AM

----- Forwarded message -----

From: lirthraj kushwaha <lkushwahabagaha@gmail.com>
Date: Fri, 3 Jun 2022, 06:22
Subject: sand mafias plundering eco-sensitive area in VTR with impunity .
To: <rg.ngl@nic.in>, PCCF BIHAR <pccfbihar@gmail.com>

Dear sir,

We have been bringing the kind attention of your officials, repeatedly, towards a massive scale of illegal sand mining on the bed of the Gandak river of semara-Labdeha panchayat under Piparasi Anchal lies under eco-sensitive zone in Valmiki tiger reserve in Bihar's West champaran district, but they are keeping mum. Where, zero km. to 9 kms ,from the boundary of the Bihar's lone VTR, any kind of minerals lifting is totally banned, but mining mafias in connivance with Piparasi anchal, police, mines ,forest and unscrupulous politicians, have continued the illegal trade, making mockery of the mines and mineral rules, forest Act, causing environmental, ecological damages and the green norm violation as well as huge loss of the state exchequer. the mining mafias are transporting hundreds of illegal sand laden tractor-trailors to Kushinagar district in Uttar Pradesh rampantly, whole day and night. It is not out of place to mention here, the DM West champaran district kundan kumar had recently instructed SP of Bagaha, the SDM Bagaha, giving reference to joint secretary mines and Geology, patna to prevent illegal mining, transportation and storage of minerals, under section 5 and 6 of the part 2, of the rules 2019. but plundering of the Gandak river even in eco-sensitive zone area in VTR going on with impunity. MP from Valmikinagar Lok Sabha sri Sunil kumar had organised a Janta Darbar on 23 may 2022 at Situhiya village, under Piparasi block. the villagers of semara -Labdeha panchayat had submitted a memorandum and had raised the issue for preventing illegal sand mining from eco-sensitive zone ,but neither district administration nor mines and Geology department has been taking any action against the illegal sand mafias, so far. rainy season is knocking at the door and all illegal mining spots will engulf in the flood water. We urged to you honour ,please probe into the matter urgently.

Yours:-Tirthraj kushwaha, Narainapur, Bagaha, West champaran,(Bihar). 9430822688, Brajesh Jaiswal, secretary, flood, & embankment protection action committee, Bihar-UP border At&PO, Chhilauni (UP) 9140728174.



Office of the Conservator of Forests-cum-Field Director, Valmiki Tiger Reserve,

Forest Colony, Puni Bagh, West Champaran, Bettiah-845438

Phone: 06254 - 245331; , email address- fdvalmikitr@gmail.com/ cfbettiah-bih@gov.in

Memo no- 1293 / Bettiah Dated- 03.06.22 A/

Copy to:- DFO-Cum Deputy Director, VTR Division-II & Divisional Forest office Bettiah for information and necessary action. Some of the Footages received are being forwarded for the verification of compliant. Based on the compliant receive the location may be inspected for necessary action and concerned officials may be informed for taking legal action against the mining.



(Dr. Nesamani K.)
CF-cum-Field Director
Valmiki Tiger Reserve



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-2, बेतिया
Forest Colony, Peonybagh, Near Durgabagh Mandir, Bettiah, West Champaran, Bihar- 845438, Mb. No. 8986153405
email-dfobettiah2@gmail.com, dfobettiah2-bih@gov.in

प्रेषक,

पत्रांक 1012 दिनांक 20.06.2022

नीरज नारायण, भा.व.से.

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक।

सेवा में,

खनिज विकास पदाधिकारी,
प० चम्पारण, बेतिया।

E-mail Only

प्रतिगहत्वपूर्ण
रखें त्वरित

विषय :

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य क्षेत्र तथा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (Eco- Sensitive Zone) में किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक खनिज उत्खनन कार्य प्रतिषिद्ध किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :-

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली का पत्रांक-फा० न०-०१-१३/९३-पी.टी. दिनांक-०७.०६.२०२२ एवं वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, बेतिया का ज्ञापांक-१३९३ दिनांक-०३.०६.२०२२, पत्रांक-१४८४ दिनांक-०९.०६.२०२२ एवं इस कार्यालय का पत्रांक-९३३ दिनांक-०४.०६.२०२२

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली का पत्रांक-फा० न०-०१-१३/९३- पी.टी. दिनांक-०७.०६.२०२२ एवं वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, बेतिया का ज्ञापांक-१३९३ दिनांक-०३.०६.२०२२, पत्रांक-१४८४ दिनांक-०९.०६.२०२२ द्वारा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प० चम्पारण अन्तर्गत अवैध रेत खनन से संबंधित प्रतिवेदन अनुलग्नकों के साथ पुनः परिवाद प्राप्त हुआ है। (संलग्न) तत्संबंध में पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक-९३३ दिनांक-०४.०६.२०२२ द्वारा वैधानिक रूप से अविलम्ब रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। पुनः प्रासंगिक परिवाद में श्रीमती कलावती देवी, सरपंच, ग्राम-कचहरी सेमरा लबेदाहा, पंचायत पिपरासी प० चम्पारण बिहार द्वारा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिदिन अवैध बालू, मिट्टी खनन घड़ल्ले से किये जाने की शिकायत की गई है।

ज्ञातव्य है की अधिसूचना संख्या-३०२६ (अ) दिनांक-१३ सितम्बर २०१७/अधिसूचना संख्या-२७६५ (अ) दिनांक-०९.०७.२०२१ द्वारा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य/पारिस्थितिकी संवेदी जोन (Eco Sensitive Zone) ० मीटर से ०९ कि.मी तक खनन कार्य प्रतिषिद्ध है।

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य क्षेत्र के (Eco Sensitive Zone) अन्तर्गत बालू की अवैध खनन कार्य पर अविलम्ब रोक लगाये जाने तथा तत्संबंधित अग्र्रेतर कार्रवाई की सूचना राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए तत्संबंधी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

20/06/2022

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह-उप निदेशक,

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-२, बेतिया।

13/06

प्रतिलिपि :-

1. वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।
2. जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, बगहा प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा, प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बगहा प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. सहायक वन संरक्षक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमंडल-02, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्राप्त वाद की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन प्रमंडलीय कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
7. अंचलाधिकारी, पिपरासी अंचल, प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मदनपुर, वाल्मीकिनगर, गनौली, हरनाटांड एवं चिउटाहां वन प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह-उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-2, बेतिया।
18/06



कार्यालय:- वन परिसर पदाधिकारी, मदनपुर -सह-
नौरंगिया वन परिसर



प्रेषक :- रवि कुमार, वनपाल
मदनपुर सह नौरंगिया वन परिसर

पत्रांक-58 दिनांक-22/8/22

सेवा में,
श्रीमान् थाना प्रभारी,
पिपरासी थाना,
बगहा पुलिस जिला।

विषय :- वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (Safety Zone) (वन सीमा से 0 से 9 किलोमीटर के अन्दर) में किये जा रहे अवैध खनन के रोकथाम हेतु प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (Safety Zone) (वन सीमा से 0 से 9 किलोमीटर के अन्दर) में खनन करना अवैध एवं कानूनन अपराध है। प्रायः ही सेमरा लबेदहा, पंचायत पिपरासी प० चम्पारण विहार द्वारा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिदिन अवैध बालू एवं मिट्टी खनन धड़ल्ले से किये जाने की शिकायत मिल रही है। खनन माफियाओं द्वारा धड़ल्ले से धोरी-छिपे खनन कर बालू निकालकर अन्यत्र ले जाया जा रहा है, जिससे वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के वन क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इससे संबंधित सूचना पूर्व में भी वनरक्षी द्वारा आपको दी गई थी। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मदनपुर के आदेशानुसार एक टीम गठीत कर मेरे द्वारा सघन छानबीन किया गया, जिस कम में कुछ खनन माफियाओं का नाम एवं पता ज्ञात हुआ है जिनका नाम व पता तथा खनन स्थल का जी०पी०एस० रिडिंग अंकित किया गया है, जो निम्नवत् है:-

क्र० स०	खनन करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता	जगह	खनन स्थल का जी०पी०एस० निर्देशांक					
			उत्तर (N) Latitude			पूर्व (E) Longitude		
			डि०	मि०	से०	डि०	मि०	से०
01	1. रामेश्वर वीन पे० भगवत वीन, सा०- भैसहीया, थाना-पिपरासी, जिला प० चम्पारण 2. विनोद यादव पे० नामालुम सा०- बांसगांव, थाना-पटखैली, बगहा जिला- प० चम्पारण। 3. दिनेश जायसवाल पे० मोहन जायसवाल 4. रामनाथ गुप्ता पे० देवनारायण गुप्ता 5. राजु रौनियार पे० नामालुम तीनों का सा०- छितौनी, थाना-हनुमानगंज, जिला-कुशीनगर (उ०प्र०)	सेमरा लबेदहा के समीप साधु घाट	27	8	54.04	83	58	59.10


ज्ञातव्य है की अधिसूचना संख्या-3026 (अ) दिनांक-13 सितम्बर 2017/अधिसूचना संख्या-2765 (अ) दिनांक-09.07.2021 द्वारा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य/पारिस्थितिकी संवेदी जोन (Eco Sensitive Zone) 0 मीटर से 09 कि०मी० तक खनन कार्य प्रतिषिद्ध है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के (Eco



Sensitive Zone) अन्तर्गत बालू की अवैध खनन कार्य पर अचिंत्य रोक लगाये जाने तथा तत्संबंधित अग्रोत्तर कार्रवाई की सूचना राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रोत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय ताकि बालूकी व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (Safety Zone) में हो रहे अवैध खनन कार्य की रोकथाम हो सके तथा कृत कार्रवाई से तत्संबंधित सूचना मदनपुर वन प्रक्षेत्र कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन


वनपाल

मदनपुर सह नीरंगिया
वन परिसर।

टीम में गठित टल म सदस्य

Mob- 9835010522

(1) सैंडू- कुआर, पं०- भोला-भादा, डम-23

Mob- 6202655062

सा०- गौरी, ब्ला- भोला, जिला-शेरपुरा

रवि कुआर पं०- स्प शालीग्राम

(2) देवानन्द-राम पं०- स्प महेंद्र राम, डम-31

प्रकाश विहारी, सा०- वासुदेवपुर

सा०- मदनपुर, ब्ला- नीरंगिया, जिला- पं०-पसरम

ब्ला- भोलापानी, जिला- भुंौर

(3) श्री किशुन-भादा पं०- स्प मुंझी-भादा, डम-25

सा०- मदनपुर, ब्ला- नीरंगिया, जिला- पं०-पसरम

(4) पद्मसूता-भादा पं०- सादा-भादा, डम- 35

सा०- सागपुर, ब्ला- लोहरिया, जिला- पं०-पसरम

(5) शमेश भादा पं०- स्प लक्ष्मण भादा, डम-40

सा०- मदनपुर, ब्ला- नीरंगिया, जिला- पं०-पसरम

Received & Registered. P. S. case NO. 51/2022 dated.
22-6-2022 U/S 379, 34 I.P.C & BM (CPI(MT) rules 2019
(amendment rules 2021) U/S 56, 11, 41 & M.M (DPR) Act
1957, U/S 4, 21 & Environment Protection Act 1986 U/S
159 will investigate this case

Rajeev K. S. D.

22-6-2022

S.H.O.

P. S.



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-2, बेतिया
Forest Colony, Peonybagh, Near Durgabagh Mandir, Bettiah, West Champaran, Bihar- 845438, Mb. No. 8986153405
email-dfobettiah2@gmail.com, dfobettiah2-bih@gov.in

प्रेषक,

पत्रांक...10664... दिनांक 28.06.2022

नीरज नारायण, भा.व.से.

वन प्रमण्डल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,

बगहा प0 चम्पारण।

विषय :

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone) (वन सीमा 0 मीटर से 09 किलोमीटर के अन्दर) में किये जा रहे अवैध खनन के रोकथाम हेतु प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

प्रसंग :

इस कार्यालय का ज्ञापांक-1012 दिनांक-20.06.2022 एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मदनपुर का ज्ञापांक-240 दिनांक-23.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone) (वन सीमा 0 मीटर से 09 किलोमीटर के अन्दर) में खनन कार्य करना अवैध एवं कानूनन अपराध है। ऐसी बार-बार सूचना प्राप्त हो रही है कि खनन माफियाओं द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। जिसके रोकथाम हेतु थाना प्रभारी पिपरासी थाना, बगहा पुलिस जिला में प्राथमिकी दर्ज करायी गई है जिसका वाद संख्या-51/2022 दिनांक-22.06.2022 है छाया प्रति संलग्न।

ज्ञातव्य है कि अधिसूचना संख्या-3026 (अ) दिनांक-13.09.2017/अधिसूचना संख्या-2765 (अ) दिनांक-09.07.2021 द्वारा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य/पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone) 0 मीटर से 09 कि०मी० तक खनन कार्य प्रतिषिद्ध है।

अतः पुनः अनुरोध किया जाता है कि अवैध खनन कार्य के रोकथाम के क्रम में अवैध खनन माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाय, ताकि अवैध खनन कार्य रोका जा सके। तत्संबंधित कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाय। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मदनपुर के प्रतिवेदन अनुसार कुछ खनन माफियाओं का नाम एवं पता ज्ञात हुआ है जो निम्नवत् है:-

क्र० सं०	खनन करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता	जगह	खनन स्थल का जी०पी०एस० निर्देशांक
01	1.रामेश्वर बीन पे० भगवत बीन, सा०-भैसहीया, थाना-पिपरासी, जिला प० चम्पारण 2. विनोद यादव पे० नामालुम सा०-बांसगाँव, थाना-पटखैली, बगहा जिला-प० चम्पारण। 3. दिनेश जायसवाल पे० मोहन जायसवाल 4. रामनाथ गुप्ता पे० देवनारायण गुप्ता 5. राजु रौनियार पे० नामालुम तीनों का सा०-छितौनी, थाना-हनुमानगंज, जिला-कुशीनगर (उ०प्र०)	सेमरा लबेदहा के समीप साधु घाट	N-27°08'54.04" E-84°58'59.10"

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-02, बेतिया।

ज्ञापांक 1064 दिनांक 28-06-2022

प्रतिलिपि :-

1. सहायक वन संरक्षक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-02, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मदनपुर वन प्रक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अंचलाधिकारी, पिपरासी प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-02, बेतिया।

28/06

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-2, बेतिया
 Forest Colony, Peonybagh, Near Durgabagh Mandir, Bettiah, West Champaran, Bihar- 845438, Mb. No. 8986153405
 email-dfobettiah2@gmail.com, dfobettiah2-bih@gov.in

प्रेषक,

पत्रांक 1942 दिनांक 20.10.2022

नीरज नारायण, भा040से0

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक।

सेवा में,

वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, बेतिया।

विषय :

पश्चिम चम्पारण के वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone) के सेमरा लबेदहा पंचायत के क्षेत्र में अवैध बालू खनन के रोकथाम हेतु अद्योहस्ताक्षरी द्वारा कृत कार्रवाई के संबंध में।

प्रसंग :

वन संरक्षक-सह- क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, बेतिया का पत्रांक-3051
दिनांक-15.10.2022 एवं ज्ञापांक-3026 दिनांक-18.10.2022, पत्रांक 3103 दिनांक 20/10/2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के Eco- Sensitive Zone के अन्तर्गत सेमरा लबेदहा पंचायत में अवैध बालू खनन कार्य को प्रतिषिद्ध करने के संबंध में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा खनिज विकास पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया के साथ-साथ जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया/पुलिस महानिरीक्षक, बेतिया/पुलिस अधीक्षक, बगहा/अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा/अचंलाधिकारी, बगहा-02 तथा भवदीय को भी अवैध खनन प्रतिषिद्ध कराने हेतु नियमित रूप से यथा स्थिति प्रतिवेदित की जाती रही है। विभिन्न संबंधित कार्य प्रतिवेदन की विस्तृत विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का अधिसूचना का0आ0-3026 (अ) दिनांक-13.09.2017 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या-का0आ0 2765 (अ) दिनांक-09.07.2021 के सन्दर्भ में वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के Eco- Sensitive Zone में अवैध बालू खनन कार्य प्रतिषिद्ध करने हेतु अद्योहस्ताक्षरी एवं भवदीय के स्तर से भी सक्षम स्तर को सूचित किया गया है। संशोधित अधिसूचना में लगभग 04 वर्षों का विलंब के कारण वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के अधिसूचित Eco- Sensitive Zone में वाणिज्यिक खनन कार्य किया गया है, जबकि प्रथम दृष्टया ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में वैधानिक कार्य दृष्टिकोण से वाणिज्यिक खनन कार्य संशोधित Eco- Sensitive Zone अधिसूचना नहीं होने तक किया जाना प्रथम दृष्टया अवैधानिक है। इस कार्यालय का पत्रांक-880 दिनांक- 29.06.2021 द्वारा तत्कालीन कार्य स्थिति प्रतिवेदित की जा चुकी थी। सरकार के संयुक्त सचिव, खनन एवं भूतत्व विभाग का संबंधित पत्रांक-1380 दिनांक-14.06.2021 द्वारा भी, Eco- Sensitive Zone में वाणिज्यिक खनन कार्य को समपुष्ट करता है। चूँकि विगत वर्षों में निरंतर वाणिज्यिक खनन कार्य अनुमान्य होने के कारण

वाणिज्यिक खनन कार्य के रद्द होने के पश्चात् भी खनन अपराधी यदा-कदा अवैध खनन कार्य में संलिप्त पाये गये थे। जिसके विरुद्ध विधि सम्मत पुलिस F.I.R पजीकृत किया जा चुका है।

इस कार्यालय के पत्रांक-1064 दिनांक-28.06.2022 द्वारा पुलिस अधीक्षक, बगहा, प0 चम्पारण को वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के Eco-Sensitive Zone में किये जा रहे अवैध बालू खनन के रोकथाम हेतु प्राथमिकी दर्ज करने एवं त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया गया है इस सन्दर्भ में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मदनपुर वन प्रक्षेत्र द्वारा अपने पत्रांक-38 दिनांक-22.06.2022 द्वारा खनन माफियाओं पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है, जिसका पुलिस F.I.R संख्या-51/2022 दिनांक-22.06.2022 है।

अतः भवदीय सभी संबंधित अनुलग्नकों के साथ भवदीय को सूचनार्थ समर्पित।

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन

Pear 02/10/2022

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-02, बेतिया।
28.10.22

कार्यालय:- वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमंडल-02, बेतिया।

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के Eco-Sensitive Zone में हो रहे वाणिज्यिक खनन के रोकथाम हेतु संबंधित कार्य प्रतिवेदन विवरणी।

क्र०सं०	सेवा में	पत्रांक/ज्ञापक	दिनांक	प्रतिलिपि	अभियुक्ति
1		1028	02.08.2021	जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया एवं वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, बेतिया।	
2		1165	26.08.2021	वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, बेतिया एवं वन संरक्षक-सह-अपर सचिव, पटना।	
3		1240	17.09.2021	सहायक वन संरक्षक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमंडल-02, बेतिया एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मदनपुर, गनौली, हरनाटांड, चिउटाहा एवं वाल्मीकिनगर वन प्रक्षेत्र।	
4		834	18.05.2022	---	
5	खनिज विकास पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया	933	04.06.2022	वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, बेतिया / पुलिस अधीक्षक, बगहा, प० चम्पारण।	वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, के Eco-Sensitive Zone के अन्तर्गत अवैध खनन के रोकथाम के संबंध में।
6		1012	20.06.2022	वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, बेतिया / जिला पदाधिकारी, बेतिया प० चम्पारण / पुलिस अधीक्षक, बगहा, प० चम्पारण / अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा / उप पुलिस अधीक्षक, बगहा / अंचलाधिकारी, बगहा-02 / सहायक वन संरक्षक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमंडल-02, बेतिया / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मदनपुर, गनौली, हरनाटांड, चिउटाहा एवं वाल्मीकिनगर वन प्रक्षेत्र।	
7		1242	25.07.2022		
8		774	02.06.2021		

क्र०सं०	सेवा में	पत्रांक/ज्ञापांक	दिनांक	प्रतिलिपि	अभियुक्ति
9		825	16.06.2021		
10	वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, बेतिया।	880	29.06.2021	वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमंडल-01, बेतिया / सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण, प्राधिकरण, बिहार पटना / निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बिहार पटना / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार पटना।	
11		924	07.07.2021		
12		1243	25.07.2022		
13		1780	13.10.2022		
14	पुलिस अधीक्षक, बगहा प० चम्पारण।	785	03.06.2021	खनिज विकास पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया / जिला पदाधिकारी, बेतिया / वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, बेतिया / पुलिस महानिरीक्षक, बेतिया / विशेष सचिव सह निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग पटना।	वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, के Eco-Sensitive Zone के अन्तर्गत अवैध खनन के रोकथाम के संबंध में।
15		1064	28.06.2022	सहायक वन संरक्षक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमंडल-02, बेतिया एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मदनपुर वन प्रक्षेत्र / अंचलाधिकारी, बगहा-02, प० चम्पारण।	
16	जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया।	1241	25.07.2022	खनिज विकास पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया / वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमंडल-01, बेतिया / वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेतिया वन प्रमंडल, बेतिया।	
17	वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मदनपुर, गनौली, हरनाटांड, चिउटाहां एवं वाल्मीकिनगर वन प्रक्षेत्र।	1043	04.08.2021	---	
18	पुलिस अधीक्षक / अनुमंडल पदाधिकारी बगहा प० चम्पारण।	453	03.03.2021	वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, बेतिया जिला खनिज विकास पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मदनपुर, गनौली, हरनाटांड, चिउटाहां एवं वाल्मीकिनगर वन प्रक्षेत्र।	

(P)

प्रेषक:- जिला पदाधिकारी, बेतिया प0 चम्पारण

क्र0सं0	सेवा में	पत्रांक	दिनांक	प्रतिलिपि	अभियुक्ति
1	सरकार के अवर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार पटना।	158	13.04.2021	निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार पटना। प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग।	वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, के Eco-Sensitive Zone से संबंध में।
प्रेषक:- सरकार के संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार पटना।					
क्र0सं0	सेवा में	पत्रांक	दिनांक	प्रतिलिपि	अभियुक्ति
1	समाहर्ता, बेतिया प0 चम्पारण।	1380	14.06.2021		वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, के Eco-Sensitive Zone से संबंध में।

Devi Jaiswal
20/06/2021

वन प्रमंडल पदाधिकारी
-सह-उप निदेशक
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य
प्रमण्डल-2, बेतिया



बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी—सह—उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-2, बेतिया
Forest Colony, Peonybagh, Near Durgabagh Mandir, Bettiah, West Champaran, Bihar- 845438, Mb. No. 8986153405
email-dfobettiah2@gmail.com, dfobettiah2-bih@gov.in

पत्रांक 1971 दिनांक 26.10.2022

प्रेषक,

नीरज नारायण, भा.व.से.

वन प्रमण्डल पदाधिकारी—सह—उप निदेशक।

सेवा में,

वन संरक्षक—सह—क्षेत्र निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, बेतिया।

विषय :

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone) के अधिन सेमरा लबदेहा बालूघाट में किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक उत्खनन कार्य प्रतिषिद्ध किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :

इस कार्यालय के पत्रांक—1942 दिनांक—20.10.2022, जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया का पत्रांक—620 दिनांक—17.09.2021 एवं खनिज विकास पदाधिकारी, प0 चम्पारण बेतिया का पत्रांक—708 दिनांक—01.11.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग के संबंध में सूचित करना है कि वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone) 0 मीटर से 09 कि0मी0 तक किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक उत्खनन कार्य भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का अधिसूचना—का0आ0—3026(अ) दिनांक—13.09.2017 एवं संशोधित अधिसूचना—का0आ0—2765(अ) दिनांक—09.07.2021 द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिषिद्ध किया जा चुका है। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal), प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश O.A No-82/19 (PSZ) दिनांक—11.12.2019 के आलेक में वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone) में वाणिज्यिक उत्खनन कार्य पर रोक थाम हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

विदित है कि वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone)

0 मीटर से 09 कि0मी0 परिधी में 16 बालूघाटों जिनका विवरण निम्नवत् है—

- (i) Sithi, (ii) Parsa Mahul, (iii) Semra Labdeha, (iv) Parsauni Puraniya Banbairiya, (v) Biranchi (vi) Manguraha, (vii) Vishunpurwa Gaunaha, (viii) Hardi, (ix) Barwa Singaha, (x) Barba kalan, (xi) Mainahamothiya, (xii) Bhelahi, (xiii) Songadhwa (Pipra), (xiv) Pindari, (xv) Hardi Shahjahanpur एवं (xvi) Nautanwa में प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति (EC) रद्द करने एवं वाणिज्यिक उत्खनन कार्य प्रतिषिद्ध किये जाने हेतु जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण बेतिया का अनुशंसा पत्रांक—620 दिनांक—17.09.2021 तथा खनिज विकास पदाधिकारी, प0 चम्पारण बेतिया का पत्रांक—708 दिनांक—01.11.2021 द्वारा सूचना प्राप्त है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न)

इस क्रम में सूचित करना है कि वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone) के सेमरा लबदेहां में अवैध बालू खनन कार्य को प्रतिषिद्ध करने के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक-1942 दिनांक-20.10.2022 द्वारा कृत कार्रवाई भवदीय को प्रतिवेदित की गई है।

अतः सभी संबंधित अनुलग्नकों के साथ भवदीय को सूचनार्थ समर्पित।

अनु० यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी -सह- उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, प्रमण्डल-02, बेतिया।

22-10-22

(खनन शाखा)

पत्रांक.....620.../खनन, बेतिया, दिनांक.....17.09.2021

प्रेषक.

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

सेवा में.

अध्यक्ष,
बिहार राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA),
बिहार, पटना।

विषय: वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधिन पड़ने वाले 16 बालूघाटों के पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) को रद्द करने के संबंध में।

प्रसंग: निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 2833/एम., पटना, दिनांक 17.09.2021

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माह मार्च 2021 में वन संरक्षण-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक 415, दिनांक 19.03.2021 द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 3026 (अ), दिनांक 13.09.2017 एवं माननीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा O.A No. 82/19 (PSZ) में दिनांक 11.12.2019 को पारित आदेश के आलोक में वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी जोन से खनन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। किन्तु अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रारूप में भिन्नता रहने पर विभाग से मार्ग-दर्शन की अपेक्षा की गयी इसी बीच में संशोधित अधिसूचना सं. 2765 (अ), दिनांक 09.07.2021 जारी किया गया है जिसमें वर्णित है कि:-

हिन्दी में	वणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइया	(क)पारिस्थितिकी संवेदन जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों के घरेलू आवश्यकताओं, जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए खोदना सम्मिलित है के सिवाय सभी प्रकार के नये एवं विद्यमान खनन (लघु एवं बृहत खनिज) पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयों तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी।
अंग्रेजी में	Commercial Mining stone quarrying, and crushing units	(a) All new and existing mining (minor and major) stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bonafide local residents including digging of earth of construction of repair of houses within Eco- sensitive Zone

उक्त के अनुसार निम्नलिखित बालूघाट पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर पड़ते हैं:- (i) Sithi, (ii) Parsa mahul, (iii) Semara Labdeha, (iv) Parsauni puraniya banbalriya, (v) Biranchi, (vi) Manguraha, (vii) Vishunpurwa Gaunaha, (viii) Hardi, (ix) Barwa singaha, (x) Barba kalan, (xi) Malnahamothiya, (xii) Bhelahi, (xiii) Songadhwa (Pipra), (xiv) Pindari, (xv) Hardi Shahjahanpur एवं (xvi) Nautanwa

उपरोक्त के आलोक में पत्रांक 353/खनन, बेतिया दिनांक 27.08.2021 से निदेशक, खान एवं मूलत्व विभाग, बिहार, पटना से वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन से खनन कार्यों के संचालन के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई। जिसके आलोक में निदेशक, खान एवं मूलत्व विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रासंगिक पत्र से उक्त वर्णित 16 बालूघाटों के लिए जारी पर्यावरण स्वीकृति रद्द करने संबंधि आदेश प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले उपरोक्त वर्णित 16 बालूघाटों की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) को समीक्षोपरान्त रद्द करने कि दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासपीजन,

जिला पदाधिकारी,

पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

अनुसूचक :- अनुरोध ।

RF637122922JNch. 28/9/21



RF637122922JN SUR:82706371229

RL BETTIAH HO (895438)

Counter No:10, 23/09/2021, 12:05

To:THE ADHYAKSHAK, SEIAA PATNA

Pin:900001, Patna GPO

From:THE DN, BETTIAH

Wt:960gms

Act:47.00(Cash)PS:210.00

Track on www.indianpost.gov.in

जिला खनन कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

115

पत्रांक 708/खनन, बेतिया

दिनांक 01.11.2021

प्रेषित.

मेजरसिंह सिंह एम्स गिरि इन्फा० प्रा० लि०
प्रो० श्री हरेन्द्र सिंह, नरैनापुर बगठा-02,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

विषय :- दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक पश्चिम चम्पारण, बेतिया जिलान्तर्गत EC
प्राप्त 20 बालूघाटों से उत्खनन एवं प्रेषण की अनुमति के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय अधिसूचना पत्रांक 3043/एम., पटना दिनांक 01.10.2021 एवं पत्रांक
3045/एम., पटना दिनांक 01.10.2021

उपर्युक्त विषयक विभागीय अधिसूचना संख्या 3043/एम० पटना, दिनांक
01.10.2021, पत्रांक 3045/एम० पटना, दिनांक 01.10.2021, द्वारा दिनांक 30.09.2021 को समाप्त
हो रही बालू बन्दोबस्तधारियों की बन्दोबस्ती अवधि को बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन,
परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-77 (2) के तहत दिनांक 01.10.2021 से
31.03.2022 तक वर्ष 2020 की बन्दोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ स्वीकृति दी गई है।

प० चम्पारण, बेतिया जिलान्तर्गत 38 बालूघाटों का कुल रकवा 66.98 हेक्टेयर है,
जिसमें से वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन पड़ने वाले 16 बालूघाटों
(रकवा 27.20 हेक्टेयर) को छोड़कर शेष 20 बालूघाट (रकवा 39.76 हेक्टेयर) के लिए रकवा के
आधार पर छः माह की कुल बन्दोबस्ती राशि मो० 4,89,67,750 रु०, आयकर की राशि मो०
10,18,529 रु० एवं डी०एम०एफ० की राशि 9,79,355 रु० का भुगतान बैंक ड्राफ्ट एवं चेक के
माध्यम आपके द्वारा की गई है।

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन पड़ने वाले 16
बालूघाटों को छोड़कर शेष 20 बालूघाट क्रमशः- Dhanarpa, Kunriya, Dumaulia Narayanpur,
Bhairoganj Bholapur, Bhairoganj, Bairyia, Belwa Bahuwari, Inarwa & Bhangaha, Baijua
Alpaha, kunriya, Dhanaha Balu, Parsuni, Machhaha chilwaniya, Bulahi khaira, Sauraha, Khaira,
Binaki khaira, Madhubani (pit-1,2), Shamservan।

उपरोक्त 20 बालूघाटों के बन्दोबस्ती राशि के संबंध में निदेशक, खान एवं मृतत्व
विभाग, बिहार, पटना से कार्यालय पत्रांक 713/खनन, दिनांक 01.11.2021 द्वारा मार्गदर्शन की मांग
की गयी है। प्राप्त निदेश में यदि बन्दोबस्ती राशि में बढ़ोतरी/वृद्धि की जाती है, तो पुनः आपको
शेष राशि जिला खनन कार्यालय, प० चम्पारण, बेतिया में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना
अनिवार्य होगा। इस शर्त के साथ उपरोक्त 20 बालूघाटों से निविदा, पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों,
बंधजों के नियमानुसार तथा विभाग एवं समाहर्ता महोदय, द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/शर्तों
के अधीन औपबधिक रूप से उत्खनन एवं प्रेषण की अनुमति दी जाती है।


खनिज विकास पदाधिकारी
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय: वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष,
फौरेस्ट कॉलनी, पिउनी बाग, प० चम्पारण, बेतिया-845438,

Phone: 06254 - 245331; email address- fdvalmikitr@gmail.com/ cfbettiah-bih@gov.in

पत्रांक 3103/ बेतिया दिनांक 20.10.22/

प्रेषक,

डॉ० नेशामणि के. भा०व०से०
वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक,
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल-2 बेतिया।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बेतिया वन प्रमंडल, बेतिया।

खनिज विकास पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

विषय:- दिनांक-20.10.2022 को Video Conferencing द्वारा दिये गये निर्देश के संबंध में।

प्रसंग:- सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना का ज्ञापांक-3176 दिनांक-
17.10.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक के संबंध में सूचित करना है कि पश्चिम चम्पारण के वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, आरक्ष क्षेत्र के Eco sensitive zone के सेमरा लबेदाहा पंचायत के क्षेत्र में अवैध बालू खनन के रोक-थाम से संबंधित सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना द्वारा दिनांक-20.10.2022 को Video Conferencing के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में दिनांक-21.10.2022 को अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई है।

अतः अनुरोध है कि सेमरा लबेदाहा पंचायत के क्षेत्र में अवैध बालू खनन के रोक-थाम के संबंध में किये गये कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक-21.10.2022 को 11:00 बजे आयोजित बैठक में भाग लेने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

U. Nepal
वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया।